

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक:- एफ.6(260)परि/ **कर** /मु./2011/3979

जयपुर, दिनांक: 10-3-2015

कार्यालय आदेश संख्या 04/2015

विभाग द्वारा दिनांक 09.03.2013 को अधिसूचना संख्या एफ.6(179)परि/कर/मु./95/6 जारी कर विभिन्न श्रेणी के वाहनों के लिए ऐमनेस्टी योजना लागू की गई है। इस योजना की क्रियान्विति हेतु रीति एवं शर्तें निर्धारित करते हुए निम्न दिशा-निर्देश प्रदान किये जाते हैं -

1. योजना दिनांक 30.06.2015 तक प्रभावी रहेगी।
2. इस योजना के तहत जारी मांग पत्र में वर्णित राशि/बकाया राशि वाहन स्वामी को मांग पत्र तामील होने पर या बकाया राशि की जानकारी होने पर दिनांक 30.06.2015 तक जमा करवानी होगी। निर्धारित अवधि में बकाया राशि जमा नहीं करवाने पर वाहन स्वामी को किसी प्रकार की छूट देय नहीं होगी।
3. पूर्व में किसी प्रकार का मोटर वाहन कर, विशेष पथकर, अधिभार (अगर कोई देय है) शास्ति, ब्याज इत्यादि जमा करवा दिया गया है तो उस राशि को प्रतिदत्त (Refund) नहीं किया जावेगा।
4. इस योजना को लागू करते समय निम्न सम्भावित प्रकरण कराधान अधिकारी के समक्ष आ सकते हैं :-

(क) खुर्दबुर्द/नष्ट हो चुके वाहनों के प्रकरण :- ऐसे सभी प्रकरण जिनमें वाहन नष्ट अथवा खुर्दबुर्द हो चुका है या वाहन में बकाया राशि के पेटे वाहन स्वामी की चल/अचल संपत्ति कुर्क की जा चुकी है अथवा कुर्क करने की कार्यवाही चल रही है, का निस्तारण भी ऐसे वाहन को नष्ट हुआ मानते हुये किया जा सकेगा। वर्तमान ऐमनेस्टी योजना में वाहन के नष्ट होने/टूटने की तिथि के पश्चात् के देय समस्त बकाया कर, अधिभार, शास्ति एवं ब्याज की छूट का प्रावधान किया गया है। परन्तु ऐसे वाहनों पर वाहन टूटने/नष्ट होने की तिथि, जो कि कराधान अधिकारी द्वारा निर्धारित की जावेगी, तक की समस्त बकाया राशि देय होगी।

ऐसे वाहनों में सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु वाहन टूटने की तिथि का निर्धारण करना है। वाहन खुर्दबुर्द/नष्ट होने बावत् निर्णय कराधान अधिकारी द्वारा किया जाना है। ऐसे प्रकरणों में निम्न दो प्रकार की परिस्थितियां हो सकती हैं :-

(1.) वाहन स्वामी द्वारा संबंधित कराधान अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जावे जिसमें वाहन के नष्ट होने की तिथि स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए। साथ ही वाहन के नष्ट होने बाबत् पर्याप्त सबूत भी एकत्रित किए जावे। ऐसे सबूत के रूप में वाहन स्वामी द्वारा वाहन की अंतिम बार जमा करवाये गये कर की रसीद, वाहन को कबाड़ी को बेचे जाने संबंधी कोई इकरारनामा अथवा वाहन ही मूल वाहन है इत्यादि अथवा अन्य कोई सबूत जो वाहन स्वामी देना चाहें, प्राप्त किया जा सकता है। यदि वाहन स्वामी द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना को तथ्यों/साक्ष्यों के आधार पर सही मानते हुए वाहन के नष्ट होने की तिथि का निर्धारण कर दिया जाता है तथा भविष्य में यदि कोई ऐसा तथ्य सामने आता है जिससे यह साबित होता हो कि उसके वाहन का संचालन विभाग द्वारा वाहन के नष्ट होने की तिथि के निर्धारण के पश्चात् पाया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उसके द्वारा वाहन पर देय समस्त कर मय शास्ति आदि को जमा करवाया जायेगा।

(2.) यदि कराधान अधिकारी को रिकॉर्ड/तथ्यों/साक्ष्यों इत्यादि के आधार पर यह समाधान हो जाता है कि कोई वाहन नष्ट हो चुका है एवं उसका संचालन होने की कोई भी संभावना नहीं है तो वह स्वप्रेरणा से वाहन स्वामी को नोटिस जारी कर पर्याप्त प्रमाण करने पश्चात् उन प्रमाण के आधार पर ऐसे प्रकरणों को ऐमनेस्टी योजना की परिधि में सम्मिलित कर सकता है।

उपरोक्त दोनों परिस्थितियों में प्रस्तुत सबूतों की विश्वसनीयता की जाँच कराधान अधिकारी द्वारा की जावेगी। जाँच करते समय कराधान अधिकारी द्वारा निम्न बिन्दुओं पर विचार कर निर्णय लिया जावे :-

- (i) वाहन स्वामी द्वारा ऐसे वाहन का कर अंतिम बार किस तिथि का तथा किस अवधि तक का जमा करवाया गया था। इस हेतु कार्यालय से भी रिपोर्ट प्राप्त की जावे तथा वाहन यदि अन्य जिले में पंजीकृत है तो उस जिले से भी उक्त रिपोर्ट प्राप्त की जावे जहाँ वाहन पंजीकृत था।
- (ii) वाहन का संचालन उक्त प्रकार से अंतिम बार जमा करवाये गये कर की अवधि के पश्चात् किया गया है अथवा नहीं, की पुष्टि हेतु कार्यालय की चालान शाखा से रिपोर्ट प्राप्त की जावे तथा वाहन यदि अन्य जिले में पंजीकृत है तो इस बाबत उस जिले से भी चालान रिपोर्ट प्राप्त की जावे जहाँ वाहन पंजीकृत है। इसके अतिरिक्त ऐसे प्रकरणों में यातायात पुलिस/जिला पुलिस के द्वारा किये गये चालानों की रिपोर्ट भी प्राप्त की जा सकती है।
- (iii) ऐसे वाहन की अगर पूर्व में किश्त की गई थी जो उसके द्वारा जमा नहीं करवाई गई थी तो अंतिम किस्त किस तिथि को जमा करवाई गई थी।
- (iv) कार्यालय के परिवहन निरीक्षक/उप निरीक्षक द्वारा पूर्व में वाहन के नष्ट होने के संबंध में प्रस्तुत रिपोर्ट अगर कोई हो तो उसे साक्ष्य के रूप में रखा जा सकता है।
- (v) ऐसे वाहन, जिनकी बकाया माँग के पेटे वाहन स्वामी की अन्य कोई चल/अचल संपत्ति जब्त/कुर्क की गई है के मामले में अंतिम कर अवधारण अवधि के पश्चात् ऊपर वर्णित तथ्यों में से कोई भी तथ्य, जिसमें वाहन संचालन कर अवधारण अवधि के बाद भी सिद्ध होता हो साक्ष्य के रूप में रखा जा सकता है।
- (vi) वाहन को जारी अंतिम फिटनेस प्रमाण पत्र, वाहन का बीमा, अस्थायी परमिट, विशेष परमिट, वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन, वाहन को गैर अस्थाई परमिट जारी होने की तिथि, वित्त पोषक (यदि कोई हो) द्वारा वाहन को नष्ट करने की रिपोर्ट, किसी न्यायिक/अर्द्ध न्यायिक प्राधिकारी द्वारा रोकना या जमानत आदि देने संबंधित तथ्य इत्यादि को आधार मानते हुए वाहन के नष्ट होने की तिथि की पुष्टि की जा सकती है।
- (vii) स्टेज कैरिज वाहनों के मामलों में संबंधित मार्ग के वाहन स्वामियों के बयान, नगर पालिका द्वारा जारी स्टैण्ड फीस रसीद इत्यादि लिये जा सकते हैं।

उक्त तिथि के निर्धारण के पश्चात् कराधान अधिकारी द्वारा ऐसे वाहन के मोटर वाहन कर, विशेष पथकर एवं अधिभार (अगर कोई देय है) की गणना/कर अवधारणा वाहन नष्ट होने की तिथि तक की जावेगी। ऐसे प्रकरणों में वाहन के नष्ट होने की तिथि के पश्चात् का कर, अधिभार, शास्ति एवं ब्याज ऐसे प्रकरणों में देय नहीं होगा। कराधान अधिकारी कायम की गई कर की राशि का माँग पत्र वाहन स्वामी को जारी करेगा। वाहन स्वामी को उक्त राशि अधिसूचना में वर्णित समयावधि में जमा करवानी होगी।

इस प्रकार से निपटाये गये प्रकरणों का इन्द्राज वाहन स्वामी द्वारा कर खातों /डी.सी. आर. में किया जावेगा तथा अलग से भी ऐसे प्रकरणों का डी.सी.आर. खोला जाकर उसमें भी इसका इन्द्राज किया जावेगा। अन्त में कराधान अधिकारी, जो पंजीयन अधिकारी भी है, ऐसे वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त करने की कार्यवाही भी की जावेगी, जिसका इन्द्राज R.A. Ledger/VAHAN सॉफ्टवेयर में भी किया जावेगा तथा यदि वाहन अन्य जिले में पंजीकृत है तो कराधान अधिकारी के द्वारा उक्त वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त करने हेतु प्रकरण मूल पंजीयन अधिकारी को भिजवाया जा कर वाहन का पंजीयन निरस्त किया जाना सुनिश्चित करवायेगा जिसका प्रमाण पत्र प्राप्त कर के वाहन की कर पत्रावली में आवश्यक रूप से संशोधित किया जावेगा।

(ख) नष्ट हो चुके वाहनों को छोड़ कर शेष मोटर वाहनों, जिन पर दिनांक 31.03.2012 तक का मोटर वाहन कर, विशेष पथ कर, एकमुश्त कर एवं सरचार्ज संदाय हेतु शोध्य हो चुका है एवं बकाया है, पर बकाया कर को दिनांक 30.06.2015 तक जमा करवाने की स्थिति में दिनांक 31.03.2012 तक की अवधि के लिए देय कर पर शास्ती एवं ब्याज देय नहीं होगा। इस संबंध में वाहन स्वामी राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत सक्षम कराधान अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा। दिनांक 31.03.2012 के बाद की अवधि के बाद का कर, शास्ति, यदि कोई हो, जमा होने पर ही ऐमनेस्टी लाभ देय होगा। यदि वाहन स्वामी चाहे तो इस राशि को अधिसूचना में वर्णित शर्तों के अधीन किशतों के रूप में दिनांक 30.06.2015 तक जमा कराने हेतु आवेदन कर सकता है परन्तु इस स्थिति में इस राशि पर नियमानुसार ब्याज भी देय होगा। वाहन स्वामी द्वारा जमा कराई गयी राशि ऐमनेस्टी योजना के अंतर्गत देय कर राशि से अधिक है तो यह अतिरिक्त राशि Refund नहीं की जावेगी।

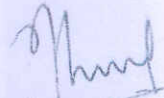
(ग) इस ऐमनेस्टी योजना में निम्न श्रेणी के वाहन/परिस्थितियां लाभ के भागी होंगे :-

- (i) सभी श्रेणी के पंजीकृत/अपंजीकृत गैर परिवहन यान जिन पर विभिन्न प्रकरणों से संबंधित निर्धारित तिथि (cut off date) तक एक बारीय कर संदाय हेतु शोध्य हो चुका हो एवं बकाया है।
 - (ii) सभी श्रेणी के पंजीकृत/अपंजीकृत परिवहन यान जिन पर विभिन्न प्रकरणों से संबंधित निर्धारित तिथि (cut off date) तक का कर शोध्य हो चुका हो तथा बकाया है।
 - (iii) मोटरयानों का कब्जा रखने वाले विनिर्माताओं एवं व्यवहारियों द्वारा देय मोटर वाहन कर, जो संदाय हेतु शोध्य हो चुका हो एवं बकाया हो।
 - (iv) ऐसे सभी वाहनों, जिनके प्रकरण विभिन्न माननीय न्यायालयों में लंबित है, के वाहन स्वामी चाहे तो इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
 - (v) ऐसे सभी वाहनों, जिनके प्रकरणों में अपील/रिवीजन दायर की गई है, के वाहन स्वामी भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
5. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रत्येक माह का व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए वाहन स्वामियों को ऐमनेस्टी योजना का पूर्ण लाभ देने हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारियों का मार्ग-दर्शन करेंगे एवं योजना के अंतर्गत किये जा रहे कार्य का नियमित पर्यवेक्षण एवं साप्ताहिक रूप से समीक्षा करेंगे।
 6. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रत्येक माह भेजे जाने वाले अर्धशासकीय पत्र में जिलेवार ऐमनेस्टी की प्रगति से मुख्यालय को अवगत करायेंगे।
 7. संबंधित कराधान अधिकारी ऐमनेस्टी योजना के प्रचार-प्रसार के साथ विभिन्न वाहनों के विरुद्ध बकाया मांग के संबंध में वाहन स्वामियों को सूचित करेंगे ताकि अधिक से अधिक वाहन स्वामी इस योजना का लाभ उठा सकें।
 8. सभी कराधान अधिकारियों को ये निर्देश दिये जाते हैं कि ऐमनेस्टी योजना के तहत दी जाने वाली छूट हेतु प्रत्येक वाहन के लिए पृथक-पृथक पत्रावली खोली जायेगी एवं प्रत्येक वाहन के लिए पृथक-पृथक आदेश जारी किये जायेंगे। योजना के अंतर्गत दी गई छूट का इन्द्राज मूल डी.सी.आर. में भी किया जावे। इसके अतिरिक्त इस योजना में शामिल वाहनों के लिए अलग से भी डी.सी.आर. संधारित किया जावे। प्रत्येक माह के अंत में दी गई छूट का विवरण संलग्न प्रोफोर्मा में अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रति 15 दिवस के अंतराल पर आवश्यक रूप से सांख्यिकी शाखा/कर शाखा को भिजवाई जावे। कराधान अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी अधीनस्थता एवं

क्षेत्राधिकार में नष्ट हो चुके वाहनों के कोई प्रकरण ऐमनेस्टी योजना की समाप्ति के बाद बकाया नहीं रहें।

उपरोक्त आदेशों की अक्षरशः पालना की जावे, आदेशों की अवहेलना की स्थिति में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

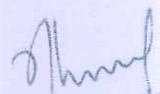

(गायत्री राठौड़) 10/3/15
परिवहन आयुक्त एवं
शासन सचिव

क्रमांक : एफ.6(260)परि/कर/मु./11/3980-87

जयपुर, दिनांक :- 10-3-2015

प्रतिलिपि:- निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री, यातायात(स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव।
3. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय, परिवहन विभाग, जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त परिवहन आयुक्त (जोन)।
5. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
6. समस्त प्रभारी, कर संग्रह केन्द्र राजस्थान।
7. सिस्टम एनालिस्ट परिवहन विभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपडेट करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।


परिवहन आयुक्त एवं 10/3/15
शासन सचिव

नष्ट/टूट चुके वाहनों से संबंधित सूचना

जिले का नाम:-

दिनांक

क्र. सं.	वाहन संख्या	वाहन टूटने की तिथि	वाहन के टूटने/नष्ट होने की तिथि तक वसूल की गई राशि का विवरण					ऐमनेस्टी के अन्तर्गत छूट दी गई राशि का विवरण				
			कर	अधिभार	शास्ति	ब्याज	कुल राशि	कर	अधिभार	शास्ति	ब्याज	कुल राशि

हस्ताक्षर कराधान अधिकारी

.....

नष्ट हो चुके वाहनों के अतिरिक्त शेष वाहनों पर दिनांक 31.03.2012 तक शास्ति व ब्याज माफी के संबंध में सूचना

जिले का नाम:-

दिनांक

क्र.सं.	वाहन संख्या	दिनांक 31.03.2012 तक बकाया राशि का विवरण				ऐमनेस्टी के अंतर्गत		
		कर	शास्ति	ब्याज	कुल राशि	कर	वसूल की गई राशि	दी गई छूट की राशि

हस्ताक्षर कराधान अधिकारी

.....